

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/15533

दिनांक: 10-12-2021

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री स्नेहिल श्रीवास्तव अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं. आर/7359/2018) निवासी जयपुर को नगर निगम हैरिटेज के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिकाओं की पैरवी एवं समुचित प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

इनको नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान नगर निगम जयपुर (हैरिटेज) से किया जायेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी/20/15534-15542

दिनांक: 10-12-2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
06. श्री स्नेहिल श्रीवास्तव अधिवक्ता, एच-2 शंकर मार्ग कांति चन्द्र रोड बनीपार्क जयपुर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी